न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट चौमूँ, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री विष्णु कुमार गोयल–I (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–02/2015

उनवान

जगदीश पुत्र स्व. श्री रेखा, जाति यादव, निवासी ग्राम लोहरवाडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर (राजस्थान)।

–वादी

बनाम

1. गुल्लाराम
2. बंशी
3. छोटूराम
4. सीताराम
5. लादूराम
6. कालूराम
7. गोपाल

(1 से 7) पुत्रान स्व0 श्री रेखा

8. कमली
9. मोहनी
10. सुरजी

(8 से 10) पुत्रियान स्व0 श्री रेखा

11. राजेन्द्र
12. काना

(11 व 12) पुत्रान माता जगदी देवी

समस्त जाति यादव, निवासी ग्राम लोहरवाडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर (राजस्थान)।

13. ललित कुमार कुमावत पुत्र देवीलाल कुमावत, जाति कुमावत, निवासी पशु चिकित्सालय के पास रेल्वे स्टेशन रोड कस्बा चौमूं, जिला जयपुर
14. कानाराम यादव पुत्र गौरीशंकर यादव, जाति अहीर, निवासी मेवाराम की ढाणी, खपरिया, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
15. उप–पंजीयक महोदय,उप पंजीयक कार्यालय, चौमूं जिला जयपुर।
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीदार चौमूं तहसील चौमूं जिला जयपुर (राज.)।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत् तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक :– 11.01.2019

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। प्रार्थना पत्र ऐतराज कुर्रेजात एवं प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी पर बहस सुनी गई। प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से प्रार्थना पत्र ऐतराज कुर्रेजात रिपोर्ट में कथन किया गया कि कुर्रेजात प्रस्ताव

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

काश्तकारों को सूचित किये बिना बनाई गई है। पक्षकारान् को बिना सूचना दिये बंटवारा फैहरिस्त व नक्शा तैयार कर कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्तुत की है। उक्त रिपोर्ट में सभी सहखातेदारान् का मौके पर कब्जा मुताबिक मौका रिपोर्ट नक्शा तैयार नहीं की गई हैं, केवल मात्र वादी व प्रतिवादी संख्या 13 व 14 के बाबत् ही मौका रिपोर्ट तैयार की गई है। पुनः कुर्रेजात प्रस्ताव मंगवाये जाने बाबत् निवेदन किया गया।

प्रार्थी / वादी ने प्रार्थना पत्र तहत धारा 151 जाप्ता दीवानी पेश कर निवेदन किया है कि प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार चौमूं के राजस्व कुनिन्दाओं ने विवादित भूमि के मौके की वास्तविक स्थिति देखे बिना व बिना वादी को सूचित किये प्रतिवादीगण संख्या 13 व 14 से मिलीभगत से दस्तावेजात तैयार कर दिये गये अतः उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट को खारिज करने के लिये निवेदन किया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया व बहस पर मनन किया गया। वादी का वाद पत्र तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का है तथा खातेदारों का रिकार्ड व मौकें अनुसार तकासमा किया जाना है। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट बनाते समय पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार पक्षकारों को मौखिक रुप से व दूरभाष से सम्पर्क किया गया व वादी तथा प्रतिवादीगण ने हस्ताक्षर करने से इन्कार किया गया है जिससे यहः प्रतीत होता है कि वादी व प्रतिवादी सं0 7 मुकदमें को देरी करने की नियत से आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश कर प्रकरण का निस्तारण नहीं करवाना चाहते है। मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट वादी तथा प्रतिवादीगण को सूचित कर बनाई गई है तथा प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से पेश आपत्ति कर्रेजात प्रार्थना पत्र कुर्रेजात रिपोर्ट के प्रस्तुत करने के 10 माह पश्चात् एवं प्रार्थी / वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 151 जाप्ता दीवानी कुर्रेजात रिपोर्ट के प्रस्तुत करने के 1 वर्ष से भी अधिक समय पश्चात्, बिना किसी तथ्य के पेश किये गये है। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट सही है। कुर्रेजात रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि कुर्रेजात प्रस्ताव सभी काश्तकारों के हिस्से व रिकॉर्ड व मौके के अनुसार एवं रास्ते की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बनाये गये है जो न्यायालय के आदेशानुसार बनाये गये है, जिसमें कोई त्रुटी नहीं पायी गई हैं। आपत्ति कुर्रेजात प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रा0पत्र आपत्ति कुर्रेजात को खारिज किया जाता है एवं मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 08.06.2017 के अनुसार वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट के अनुसार विवादित भूमि खसरा नं0 762 रकबा 1.14 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 770 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 771 रकबा 0.01 हैक्टेयर गै0मु0 चाह, खसरा नम्बर 772 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 773 रकबा 5.29 हैक्टेयर कुल किता 5 का कुल रकबा 6.53 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम लोहरवाडा, पटवार हल्का लोहरवाडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर का मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 08.06.2017 के अनुसार निम्न प्रकार से बंटवारा किया जाता है:–

1. जगदीश पुत्र रेखा जाति अहीर सा0 देह खातेदार राहीन दि0सेन्ट्रल को–ओपरेटिव बैंक शाखा गोविन्दगढ मूर्तहीन खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 762 / 2 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 773 / 2 रकबा 0.44 हैक्टेयर कुल किता 2 का कुल रकबा 0.54 हैक्टेयर भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

2. ललित कुमार पुत्र देवीलाल हिस्सा 1/2 जाति कुमावत स्टेशन रोड चौमूं कानाराम पुत्र गौरीशंकर हिस्सा 1/2 जाति अहीर नि0 खपरिया तह0 आमेर खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 762/1 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 773/1 रकबा 0.44 हैक्टेयर कुल किता 2 का कुल रकबा 0.50 हैक्टेयर भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
3. गुल्लाराम बंशी छोटूराम सीताराम गोपाल कमली मोहनी सुरजी पि0 रेखा हिस्सा 8/12 राजेन्द्र काना माता जगली देवी हि0 1/12 बिलारहन जगदीश कालूराम लादूराम पिता रेखा हि0 3/12 जाति अहीर राहीन दि0 सेन्ट्रल को–ओपरेटिव बैंक शाखा–गोविन्दगढ मूर्तहीन खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 770 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 771 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 772 रकबा 0.06 हैक्टेयर कुल किता 3 का कुल रकबा 0.10 हैक्टेयर भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
4. गुल्लाराम छोटूराम सीताराम गोपाल कमली मोहनी मुरली पि0 रेखा हि0 6615/9800 राजेन्द्र काना माता जगली देवी हि0 945/9800 कालूराम लादूराम पि0 रेखा हि0 1890/9800 राहीन दि0 सेन्ट्रल को–ओपरेटिव बैंक शाखा गोविन्दगढ मूर्तहीन बंशी पुत्र रेखा हि0 350/9800 सा0 देह खातेदार जाति अहीर के हिस्से में खसरा नम्बर 762 रकबा 0.98 हैक्टेयर कुल किता 1 का कुल रकबा 0.98 हैक्टेयर भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
5. गुल्लाराम छोटूराम सीताराम गोपाल कमली मोहनी सुरजी पि0 रेखा हि0 7/10 राजेन्द्र काना माता जगली देवी हि0 1/10 कालूराम लादूराम पि0 रेखा हि0 2/10 जाति अहीर राहीन दि0 सेन्ट्रल को–ओपरेटिव बैंक शाखा गोविन्दगढ मूर्तहीन के हिस्से में खसरा नम्बर 773 रकबा 4.41 हैक्टेयर कुल किता 1 का कुल रकबा 4.41 हैक्टेयर भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

डिक्री जारी हो। नजरी नक्शा डिक्री का जुज रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 11.01.2019 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम तथा दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
चौमूँ

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट,चौमूँ, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री विष्णु कुमार गोयल–I (R.A.S.)

उनवान

जगदीश पुत्र स्व. श्री रेखा, जाति यादव, निवासी ग्राम लोहरवाडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर (राजस्थान)।

–वादी

बनाम

1. गुल्लाराम
2. बंशी
3. छोटूराम
4. सीताराम
5. लादूराम
6. कालूराम
7. गोपाल

} पुत्रान स्व0 श्री रेखा

8. कमली
9. मोहनी
10. सुरजी

} पुत्रियान स्व0 श्री रेखा

11. राजेन्द्र
12. काना

} पुत्रान माता जगदी देवी

समस्त जाति यादव, निवासी ग्राम लोहरवाडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर (राजस्थान)।

13. ललित कुमार कुमावत पुत्र देवीलाल कुमावत, जाति कुमावत, निवासी पशु चिकित्सालय के पास रेल्वे स्टेशन रोड कस्बा चौमूं, जिला जयपुर
14. कानाराम यादव पुत्र गौरीशंकर यादव, जाति अहीर, निवासी मेवाराम की ढाणी, खपरिया, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
15. उप–पंजीयक महोदय,उप पंजीयक कार्यालय, चौमूं जिला जयपुर।
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीदार चौमूं तहसील चौमूं जिला जयपुर (राज.)।

–प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा</u>

मुकदमा नं0:–02/2015

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादी व प्रतिवादीगण मिनजामिन मुददई रूबरू श्री विष्णु कुमार गोयल आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

विवादित भूमि खसरा नं0 762 रकबा 1.14 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 770 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 771 रकबा 0.01 हैक्टेयर गै0मु0 चाह, खसरा नम्बर 772 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 773 रकबा 5.29 हैक्टेयर कुल किता 5 का

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

कुल रकबा 6.53 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम लोहरवाड़ा, पटवार हल्का लोहरवाड़ा, तहसील चौमूं जिला जयपुर का मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 08.08.2017 के अनुसार निम्न प्रकार से बंटवारा किया जाता है–

1. जगदीश पुत्र रेखा जाति अहीर सा0 देह खातेदार रहीन दि0सेन्ट्रल को–ओपरेटिव बैंक शाखा गोविन्दगढ मूर्तहीन खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 762/2 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 773/2 रकबा 0.44 हैक्टेयर कुल किता 2 का कुल रकबा 0.54 हैक्टेयर भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
2. ललित कुमार पुत्र देवीलाल हिस्सा 1/2 जाति कुमावत स्टेशन रोड चौमूं कानाराम पुत्र गौरीशंकर हिस्सा 1/2 जाति अहीर नि0 खवरिया तह0 आमेर खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 762/1 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 773/1 रकबा 0.44 हैक्टेयर कुल किता 2 का कुल रकबा 0.50 हैक्टेयर भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
3. गुल्लाराम बंशी छोटूराम सीताराम गोपाल कमली मोहनी सुरजी पि0 रेखा हिस्सा 8/12 राजेन्द्र काना माता जगली देवी हि0 1/12 बिलावहन जगदीश कालूराम लादूराम पिता रेखा हि0 3/12 जाति अहीर रहीन दि0 सेन्ट्रल को–ओपरेटिव बैंक शाखा–गोविन्दगढ मूर्तहीन खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 770 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 771 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 772 रकबा 0.06 हैक्टेयर कुल किता 3 का कुल रकबा 0.10 हैक्टेयर भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
4. गुल्लाराम छोटूराम सीताराम गोपाल कमली मोहनी सुरली पि0 रेखा हि0 6615/9800 राजेन्द्र काना माता जगली देवी हि0 945/9800 कालूराम लादूराम पि0 रेखा हि0 1890/9800 रहीन दि0 सेन्ट्रल को–ओपरेटिव बैंक शाखा गोविन्दगढ मूर्तहीन बंशी पुत्र रेखा हि0 350/9800 सा0 देह खातेदार जाति अहीर के हिस्से में खसरा नम्बर 762 रकबा 0.98 हैक्टेयर कुल किता 1 का कुल रकबा 0.98 हैक्टेयर भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
5. गुल्लाराम छोटूराम सीताराम गोपाल कमली मोहनी सुरजी पि0 रेखा हि0 7/10 राजेन्द्र काना माता जगली देवी हि0 1/10 कालूराम लादूराम पि0 रेखा हि0 2/10 जाति अहीर रहीन दि0 सेन्ट्रल को–ओपरेटिव बैंक शाखा गोविन्दगढ मूर्तहीन के हिस्से में खसरा नम्बर 773 रकबा 4.41 हैक्टेयर कुल किता 1 का कुल रकबा 4.41 हैक्टेयर भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

निजी ____ मबलिक ______ बाबत ______ खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह ______________ फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक ____ को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 11.01.2019 को जारी किया गया

मोहर

दस्तखत ______
सहायक कलक्टर
ओहदा ...(जयपुर)

Scanned by CamScanner

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. स्टाम्प वजह सबूत 4. महन्ताना वकील 5. खर्चा गवाहन 6. फीस कमिश्नर 7.बाबत इजराय हुक्मनामा 8.मुतफरिक	2 1	1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. महन्ताना वकील 4. खर्चा गवाहन 5. फीस कमिश्नर 6.बाबत इजराय हुक्मनामा 7.मुतफरिक	2
जोड़	3	जोड़	2

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner